बिहार विधान परिषद

(विधान परिषद् का 192वां बजट सत्र)

05 जुलाई 2019

[शिक्षा - खान एवं भूतत्व - कला, संस्कृति एवं युवा विज्ञान एवं प्रावैधिकी].

- 25

नियमों में बदलाव करने पर विचार

*88 **प्रो. नवल किशोर यादव (शिक्षक पटना):**

शिक्षा :-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि;

(क) क्या यह सही है कि राज्य के इन्टर/डिग्री कॉलेजों में अधिकांश गरीब छात्र-छात्रायें पढ़ते हैं, जिनके अभिभावकों की आर्थिक स्थिति दयनीय है;

(ख) क्या यह सही है कि राज्य के ग्रामीण इलाकों के छात्रों के नामांकन के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने ऑनलाइन फार्म भराने की प्रक्रिया की है, जिससे इस प्रक्रिया में भागलपुर के गरीब छात्रों का पुनपुन, पटना, नवादा के छात्रों का बेगूसराय, समस्तीपुर आदि सुदूर इलाके में नामांकन के लिए चयन किया गया है, जिससे उनका कॉलेज सुदूर रहने के कारण उनकी उपस्थिति नहीं हो पा रही है और वे कॉलेज छोड़ने के लिए विवश हैं;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार ऐसी स्थिति में नियमों में बदलाव करने का विचार रखती है ताकि ग्रामीण सुदूर इलाके के गरीब छात्र-छात्रायें पढ़ सकें ?

निर्णयों की समीक्षा कबतक

*89 **डा. संजीव कुमार सिंह (कोशी शिक्षक):**

शिक्षा :-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि;

(क) क्या यह सही है कि नवसृजित पूर्णिया विश्वविद्यालय, पूर्णिया में अभिषद् (Syndicate) का गठन बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम के प्रावधानानुरूप तथा राजभवन सचिवालय के द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुरूप नहीं किया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक निकाय का गठन प्रथमतः महामहिम कुलाधिपति के अनुमोदनोपरान्त ही किये जाने का प्रावधान है जबकि ऐसा नहीं किया गया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम तथा महामहिम कुलाधिपति सचिवालय के आदेशों–निदेशों के विपरीत गठित ऐसे अनियमित निकाय द्वारा पूर्व में लिये गये निर्णयों की समीक्षा करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

मुख्यमंत्री के निदेशों का अनुपालन

*90 **श्री प्रेम चन्द्र मिश्रा (विधान सभा):**

कला, संस्कृति एवं युवा :-

क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि;

(क) क्या यह सही है माननीय मुख्यमंत्री के निदेश के आलोक में महाराजाधिराज लक्ष्मीश्वर सिंह संग्रहालय की सामग्रियों को बेहतर प्रदर्शन हेतु बड़े कमरों वाले भवन का निर्माण नहीं कया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि माननीय मुख्यमंत्री के निदेश के आलोक में अब तक गांधी स्मारक संग्रहालय, भितिहरवा में 'चम्पारण सत्याग्रह से संबंधित स्थायी प्रदर्शनी' के लिए भवन का निर्माण कार्य आरंभ नहीं किया गया है;

(ग) क्या यह सही है कि माननीय मुख्यमंत्री के निदेश के आलोक में राज्य के विभिन्न संग्रहालयों के पुरावशेषों का उचित संरक्षण कार्य का आरंभ सरकारी एजेंसी से नहीं किया गया है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार माननीय मुख्यमंत्री के निदेशों की अवहेलना करने हेतु कटिबद्ध अधिकारियों को निरुत्साहित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री के सभी निदेशों का अनुपालन शीघ्र सुनिश्चित करना चाहती है, यदि हां तो कब तक?

नारी शिक्षा को सुदृढ़ करने का विचार

*91 **श्री सुबोध कुमार (वैशाली स्थानीय प्राधिकार):**

शिक्षा :-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि;

(क) क्या यह सही है कि वैशाली जिले के चेहराकलां प्रखंड में स्थित कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में खान-पान एवं स्वास्थ्य मामले में कुव्यवस्था व्याप्त है जिसके कारण कई बालिकाएं विद्यालय छोड़ने पर विवश हो गयी हैं;

(ख) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा नियमित जांच नहीं होने के कारण सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ विद्यालय में पढ़ने वाली बालिकाओं को नहीं मिल रहा है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार उक्त कस्तूरबा विद्यालय में खान-पान एवं स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्था में सुधार करते हुए विद्यालय से पलायन करने वाली छात्राओं को रोकते हुए नारी शिक्षा को सुदृढ़ करना चाहती है?

दोषी पदाधिकारी पर कार्यवायी

*92 **श्री राधाचरण साह (स्थानीय प्राधिकार, भोजपुर एवं बक्सर):**

शिक्षा :-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि राज्य में शिक्षा का अधिकार कानून के तहत कक्षा एक से आठ तक के बच्चों को मुफ्त किताब दिलाने का प्रावधान है;

(ख) क्या यह सही है कि प्रत्येक कक्षा की एक पुस्तक छापने के लिए कम से कम तीन प्रकाशक को जिम्मेदारी दी गई है, कई प्रकाशकों ने किताब उपलब्ध कराने में असमर्थता भी जताई है;

(ग) क्या यह सही है कि सत्र शुरू होने के डेढ़ माह बाद भी सरकारी स्कूलों के बच्चों को किताब नहीं मिल सकी है। इस वर्ष बच्चों को पाठ्यपुस्तक के लिए सभी जिलों को 528 करोड़ 87 लाख 20 हजार रुपए दिए गए हैं, लेकिन अभी तक एक करोड़ से अधिक बच्चों के खाते में किताब की राशि नहीं पहुंची है, बच्चों का भविष्य किताब के बिना खराब हो रहा है;

(घ) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो सरकार कब तक दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई करते हुए बच्चों के खाता में किताब की राशि भेजना चाहती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

महाराणा प्रताप जनता बालिका उच्च विद्यालय को अधिग्रहण कराने के संबंध में

***93 श्री सुमन कुमार (मधुबनी स्थानीय प्राधिकार):**

शिक्षा :-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि;

(क) क्या यह सही है कि मधुबनी जिला के बाबूबरही प्रखंड, तिरहुता पंचायत अंतर्गत कमला बलान के दियारा क्षेत्र में महाराणा प्रताप श्रीलाल जनता बालिका उच्च विद्यालय छात्राओं को शिक्षा प्रदान करता आ रहा है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त बालिका विद्यालय आधारभूत संरचना के साथ-साथ विद्यालय अधिग्रहण के सभी नियम एवं शर्त्त को पूरा करती है;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त विद्यालय को अधिग्रहण के लिए विभाग द्वारा आज तक कोई पहल नहीं होने से कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मियों में असंतोष व्याप्त है;

(घ) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार मधुबनी जिला के बाबूबरही प्रखंड तिरहुता पंचायत में अवस्थित महाराणा प्रताप श्रीलाल जनता बालिका उच्च विद्यालय का अधिग्रहण कराना चाहती है, यदि हां तो कब तक, यदि नहीं तो क्यों?

>(घ) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो बिना शिक्षा विभाग के लाईसेंस के कोचिंग चलाने वालों और दोषी पदाधिकारियों पर कौन सी कार्रवाई की गई है?

अनुशासनात्मक कार्रवाई

***94 श्री रामचन्द्र भारती (मनोनीत):**

शिक्षा :-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि सारण जिला शिक्षा पदाधिकारी ने अपने पत्रांक 1749, दिनांक 22-6-2017 एवं पत्रांक 1476, दिनांक 23-8-2018 द्वारा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, मसरख को निदेशित किया था कि सभी विद्यालयों में वरीय शिक्षक ही प्रभारी प्रधानाध्यापक का कार्य संपादित करेंगे;

(ख) क्या यह सही है कि मसरख प्रखण्ड के शिक्षा पदाधिकारी द्वारा मनमाने तौर पर अभी भी प्रखंड के लगभग तैंतीस (33) विद्यालयों में कनीय शिक्षकों से प्रभारी प्रधानाध्यापक का कार्य संपादित कराया जा रहा है, जो अनुशासनहीनता का द्योतक है;

(ग) क्या यह सही है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी, सारण द्वारा पुनः अपने पत्रांक 715, दिनांक 25-4-2019 द्वारा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, मसरख को प्रखण्ड के उपरोक्त तैंतीस विद्यालयों में 24 घंटे के अंदर वरीयतम शिक्षकों को विद्यालय का प्रभार दिलाकर प्रतिवेदित करने का निदेश दिया गया, किन्तु प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा अभी भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है;

(घ) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, मसरख के विरुद्ध वरीय पदाधिकारी के निदेशों की अवहेलना करने तथा मनमाने रवैये के कारण कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों?

पांडुलिपियों का डिजिटलाइजेशन एवं संरक्षण कार्य कबतक

*95 **डा. दिलीप कुमार चौधरी (स्नातक दरभंगा):**

शिक्षा :-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि;

(क) क्या यह सही है कि कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा के पुस्तकालय में संस्कृत, मिथिलाक्षर एवं कैथी की अनमोल पाण्डुलिपियां संरक्षित हैं जो अत्यंत प्राचीन एवं सांस्कृतिक दृष्टि से देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं;

(ख) क्या यह सही है कि अब तक उन महत्वपूर्ण पाण्डुलिपियों का डिजिटलाइजेशन एवं संरक्षण का कार्य नहीं किया गया है;

(ग) क्या यह सही है कि भारत सरकार की संस्था नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन द्वारा चलाए गए अभियान के तहत इन पाण्डुलिपियों का संरक्षण किया जाना अत्यंत आवश्यक है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार भारत सरकार के सहयोग से पाण्डुलिपियों का डिजिटलाइजेशन एवं संरक्षण का कार्य करवाना चाहती है, यदि हां तो कब तक?

पात्रता सुनिश्चित

*96 **प्रो. संजय कुमार सिंह (तिरहुत शिक्षक):**

शिक्षा :-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि;

(क) क्या यह सही है कि राज्य के माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विकास

हेतु विभिन्न मदों में सरकार द्वारा राशि निर्गत की जा रही है;

(ख) क्या यह सही है कि जिला स्तर पर इन योजनाओं के निमित्त राशि का वारा-न्यारा उगाही के आधार पर सर्वाधिक जरूरतमंद विद्यालय को नहीं देकर दूसरे विद्यालय को दे दिया जाता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार इस हेतु कोई मापदण्ड स्थापित करना चाहती है ताकि पारदर्शिता के साथ ही सही विद्यालय की पात्रता सुनिश्चित हो सके , नहीं तो क्यों?

बकाया राशि का भुगतान कब तक

***97 श्री रामचन्द्र पूर्वे (विधान सभा):**

शिक्षा :-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि;

(क) क्या यह सही है श्री अवध कान्त झा, वरीय शिक्षक, राजकीय संस्कृत उच्च विद्यालय, काजीपुर, पटना से दिनांक 30.09.15 को सेवानिवृत हुए;

(ख) क्या यह सही है कि अवर शिक्षा सेवा को बिहार शिक्षा सेवा में संविलियन के पश्चात श्री झा को सेवानिवृत्त के उपरान्त निदेशक, प्रशासन ने प्रोन्नति देते हुए अपने पत्रांक 1614, दिनांक 18.10.17 के द्वारा प्रथम, द्वतीय एवं एम.ए.सी.पी. का लाभ दिया परन्तु अन्तर वेतन का भुगतान आजतक नहीं किया जा सका है;

(ग) क्या यह सही है कि सहायक निदेशक, संस्कृत ने अपने पत्रांक-60, दिनांक 10.10.18 एवं पत्रांक – 03, दिनांक 16.01.19 के द्वारा राशि की मांग निदेशकख् प्रशासन से की, परन्तु आजतक राशि का आवंटन नहीं दिया गया जिसके चलते सेवानिवृत्ति के उपरान्त भी श्री झा को भुगतान से वंचित होना पड़ रहा है;

(घ) यदि उपर्युक्त् खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो सरकार श्री झा की बकाया राशि का भुगतान कबतक करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?

विद्यालय के भवन निर्माण मद में राशि कब तक

***98 श्री केदार नाथ पाण्डेय (सारण शिक्षक):**

शिक्षा :-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि;

(क) क्या यह सही है 2014-15 वित्तीय वर्ष में माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, द्वारा

विभागीय प्रतिवेदन में वित्तीय वर्ष 2015-16 में भवन निर्माण मद में राजकीय हसनपुर उच्च विद्यालय, लखीसराय में एक करोड़ रुपये आवंटित राशि के संबंध में बिहार विधान मंडल के बजट सत्र में प्रतिवेदन किया गया था;

(ख) क्या यह सही है कि विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय के रूप में उत्क्रमित किया गया है तथा उच्च माध्यमिक विद्यालय की आधारभूत संरचना को विकसित करने के लिये आवंटित पूरी राशि 36 लाख रुपये विभागीय आदेशानुसार विभाग को लौटा दी गई है;

(ग) क्या यह सही है कि नगर परिषद् वार्ड नम्बर 28 में विद्यालय अवस्थित होने से छात्र-छात्राओं का दबाव काफी है तथा पुराना भवन काफी जर्जर है, किसी समय कोई अप्रिय घटना घट सकती है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो सरकार बजट प्रावधानों के अनुसार विद्यालय के भवन निर्माण मद में राशि कब तक आवंटित करना चाहती है?

महाविद्यालय कब तक

*99 **श्री कृष्ण कुमार सिंह (विधान सभा):**

शिक्षा :-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि गया शहर के डुमरिया प्रखंड में एक भी महाविद्यालय नहीं है;

(ख) क्या यह सही है कि डुमरिया के बच्चे मैट्रिक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद 25 किलोमीटर की दूरी तय कर उच्च शिक्षा के लिए इमामगंज जाते हैं;

(ग) क्या यह सही है कि साधन की कमी के कारण डुमरिया की छात्राएं मैट्रिक के बाद उच्च शिक्षा से ज्यादातर दूर ही रहती हैं;

(घ) क्या यह सही है कि जिनके माता-पिता संपन्न हैं, वे गया, पटना में किराये पर कमरा लेकर बच्चे को पढ़ा रहे हैं;

(ङ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार डुमरिया में महाविद्यायल खोलना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

कार्रवाई करने का विचार कब तक

*100 **श्री सुनील कुमार सिंह (स्थानीय प्राधिकार, दरभंगा):**

शिक्षा :-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सही है कि दरभंगा जिला अंतर्गत बिरौल प्रखंड में +2 ओंकार उच्च विद्यालय अभी तक भवनहीन है;

(ख) क्या यह सही है कि 2800 छात्र/छात्राओं वाले इस विद्यालय में आधुनिक भवन का शिलान्यास तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी के द्वारा किया गया था;

(ग) क्या यह सही है कि इस विद्यालय के भवन निर्माण का टेंडर भी हो चुका है किन्तु अभी तक कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय में भवन निर्माण करवाने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

+2 में प्रोन्नति कब तक

***101 श्री संजीव श्याम सिंह (शिक्षक गया):**

शिक्षा :-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सही है कि राज्य के उच्च विद्यालयों में कार्यरत वैसे नियोजित शिक्षक जिन्होंने स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त कर ली है, इन्हें +2 में प्रोन्नत नहीं किया गया है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वैसे नियोजित शिक्षक जिन्हें स्नातकोत्तर की डिग्री प्रापत है, उन्हें +2 में प्रोन्नत करना चाहती है, यदि हां तो कब तक?

पुस्तकालय एवं क्लब कब तक

***102 श्री आदित्य नारायण पाण्डेय (गोपालगंज स्थानीय प्राधिकार):**

शिक्षा :-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सही है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत नगर पंचायत बरौली के वार्ड नं.-6 में भड़कुईया पुस्तकालय व क्लब स्थापित हैं;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त पुस्तकालय का सरकार द्वारा भवन निर्मित कराया गया और अनुदान मुहैया कराया गया परंतु विभागीय उपेक्षा के कारण सरकारी अनुदान की राशि बंद होने से भवन जीर्ण-शीर्ण होकर ध्वस्त हो रहा है;

(ग) क्या यह सही है कि पुस्तकालय की मृतप्राय स्थिति से शिक्षित वर्ग एवं विद्यार्थियों को विशेषकर कम्पटीशन में भाग लेने वाले युवाओं के समक्ष संदर्भ पुस्तकों का अभाव उत्पन्न हो गया है;

(घ) यदि उपुर्यक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त पुस्तकालय एवं क्लब को पुनर्स्थापित करना चाहती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों?

यथाशीघ्र अतिक्रमण से मुक्ति

***103 डा. रामवचन राय (मनोनीत):**

शिक्षा :-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सही है कि पटना जिला के बांकीपुर बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय 'आदर्श' विद्यालय की श्रेणी में है;

(ख) क्या यह सही है कि विद्यालय में नामांकन के साथ छात्राओं ने छात्रावास के लिए आवेदन दिया है लेकिन छात्रावास का आवेदन वापस कर दिया जा रहा है;

(ग) क्या यह सही है कि पिछले कई वर्षों से उक्त विद्यालय के छात्रावास के साथ साईंस ब्लॉक और आट्र्स ब्लॉक पर अतिक्रमण है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय के छात्रावास सहित साइंस ब्लॉक और आट्र्स ब्लॉक को यथाशीघ्र अतिक्रमण से मुक्त करना चाहती है, यदि नहीं तो क्यों?

शराब बरामदगी के मामले में कार्रवाई

***104 श्री सतीश कुमार (विधान सभा):**

शिक्षा :-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत सरोतर हाई स्कूल के दो मंजिला भवन के एक कमरे से 74 पेटी अंग्रेजी शराब की बरामदगी केसरिया थाना द्वारा की गई है;

(ख) क्या यह सही है कि शराब कि बरामदगी सरोतर हाई स्कूल से होना प्राचार्य की मिलीभगत एवं शराब से जुड़े तस्करों के बड़े रैकेट का पर्दाफाश है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त विद्यालय के प्राचार्य पर शराब बरामदगी के मामले में कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

कार्रवाई करने का विचार कब तक

*105 **श्री देवेश चन्द्र ठाकुर (स्नातक तिरहुत):**

शिक्षा :-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि वर्ष 2008 में ग्राम पंचायत राज पंजवार, प्रखंड-रघुनाथपुर, जिला-सिवान में 12 शिक्षकों का नियोजन जिले के विभिन्न प्राथमिक विद्यालयों में किया गया था;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त 12 शिक्षक सभी अप्रशिक्षित हैं और उनमें से कई गलत प्रमाण-पत्र के आधार पर नियुक्त हैं, विशेषकर क्रमांक-10 पर राजन कुमार सिंह, पिता-गोपालजी सिंह का विकलांगता प्रमाण-पत्र कम सुनने का है और नियुक्ति पत्र में विकलांगता कोटि (अस्थि नि.) अंकित है;

(ग) यदि उपयुक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार खंड 'क' में वर्णित सभी नियुक्तियों की प्रामाणिकता की जांच के साथ-साथ क्रमांक 10 पर फर्जी विकलांगता प्रमाण-पत्र के आधार पर की गई नियुक्ति की जांच कराकर समुचित कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हां तो कब तक?

सेवा शर्त्त नियमावली का क्रियान्वयन

*106 **श्री संजय पासवान (विधान सभा):**

शिक्षा :-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि बिहार में नियोजित शिक्षकों के 2015 में वेतनमान मिलने के बाद नई सेवा-शर्त नियमावली बनाई गई परंतु उच्चतम न्यायालय में मामला लंबित होने के कारण लागू नहीं हो सकी;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो उच्चतम न्यायालय के फैसले के आलोक में इसके क्रियान्वयन में क्या समस्या है, अगर समस्या नहीं तो क्या सरकार बतलाएगी कि इसे कितने दिनों में क्रियान्वित करेगी ?

'>(ग) यदि उपयुक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार खंड 'क' में वर्णित

सभी नियुक्तियों की प्रामाणिकता की जांच के साथ-साथ क्रमांक 10 पर फर्जी विकलांगता प्रमाण-पत्र के आधार पर की गई नियुक्ति की जांच कराकर समुचित कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हां तो कब तक?

शिक्षक के पद पर समायोजन

*107 **डा. वीरेन्द्र नारायण यादव (स्नातक सारण):**

शिक्षा :-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सही है कि राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध पंचम नियोजन प्रक्रिया में विज्ञान एवं अंग्रेजी के शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है;

(ख) क्या यह सही है कि विभागीय संकल्प सं.-51, दिनांक 25.01.18 के आलोक में राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय में भौतिकी विज्ञान, रसायन शास्त्र, गणित, वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र एवं अंग्रेजी विषयों सहित कुल 4,257 अभ्यर्थियों को अतिथि शिक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया है लेकिन जून 2019 से हो रहे पंचम शिक्षक नियोजन के पश्चात् इन अतिथि शिक्षकों की सेवा स्वतः समाप्त हो जायेगी, जिससे अतिथि शिक्षकों का भविष्य अंधकारमय हो जायेगा;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड 'ख' में वर्णित स्थिति में कार्यरत इन अतिथि शिक्षकों का नियोजित शिक्षकों के पद पर समायोजन करने का विचार रखती है, यदि नहीं तो क्यों?

पुस्तकालय अध्यक्ष की नियुक्ति

*108 **श्री संजय प्रसाद (मुंगेर स्थानीय प्राधिकार):**

शिक्षा :-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि बिहार में लगभग 9 वर्षों से माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में लाइब्रेरियन की बहाली नहीं हुई है;

(ख) क्या यह सही है कि पुस्तकालय अधिनियम 2008 के अनुसार राज्य के सभी माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में पुस्तकालय अध्यक्ष का होना अनिवार्य है जबकि वर्तमान में पूरे राज्य में 5391 हाई व प्लस टू स्कूल हैं जिनमें से सिर्फ 1800 पुस्तकालय अध्यक्ष की ही नियुक्ति हो पाई है, शेष की नियुक्ति नहीं हो पाई है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शेष बचे हुए

पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति करना चाहती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों?

दोषी अधिकारियों को दंडित

*109 **श्री दिलीप राय (सीतामढी स्थानीय प्राधिकार):**

शिक्षा :-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि अवर प्रमंडल शिक्षा पदाधिकारी, सीतामढ़ी का कार्यालय श्रीमती जनारसी देवी के मकान में चल रहा था;

(ख) क्या यह सही है कि नियंत्रण पदाधिकारी, सीतामढ़ी सदर द्वारा दिनांक 5-1-2004 से मकान किराया 1400 प्रतिमाह से बढ़ाकर 2300 रुपया प्रतिमाह कर दिया गया था;

(ग) क्या यह सही है कि मकान मालकिन को न तो पुराना भाड़ा मिल रहा है और न नया भाड़ा मिल रहा है जो विभागीय भ्रष्टाचार का ज्वलंत उदाहरण है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार नियमानुसार मकान भाड़ा का भुगतान कराना चाहती है और विलंब के लिए दोषी अधिकारी को दंडित करना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

दोषी के विरुद्ध कार्रवाई

*110 **डा. मदन मोहन झा (शिक्षक दरभंगा):**

शिक्षा :-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि राज्य के लाखों नियोजित शिक्षकों के कुछ माह का वेतन बकाया है एवं एक साल से महीने तक की अवधि के साथ सातवें वेतनमान की अंतर वेतन की राशि का भुगतान लंबित है;

(ख) क्या यह सही है कि प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग के द्वारा 4 जून 2019 तक सभी शिक्षकों के खाते में भुगतान करने का आश्वासन दिया गया एवं इसमें चूक होने पर कार्रवाई की बात कही गई थी;

(ग) क्या यह सही है कि मुस्लिम शिक्षकों को महापर्व ईद के मौके पर भी वेतन भुगतान नहीं किया गया;

(घ) क्या यह सही है कि नियोजित शिक्षकों को कभी भी समय से वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा है;

(ङ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सातवें वेतनमान के अंतर वेतन की राशि का भुगतान ससमय, मूल वेतन आदि का भुगतान एवं दोषी पदाधिकारियों क विरुद्ध कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों?

राशि का भुगतान

***111 श्री हीरा प्रसाद बिन्द (विधान सभा):**

शिक्षा :-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि श्री अजीत प्रसाद, से.नि.लिपिक कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना को क्षे.शि.उ.नि., पटना प्रमण्डल, पटना के ज्ञापांक-1243, दिनांक 25.10.2017 के द्वारा दिनांक 09.05.2015 से तृतीय ए.सी.पी. की स्वीकृति दी गई है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त कार्यालय के अन्य कर्मियों को ए.सी.पी. का बकाये राशि का भुगतान कर दिया गया है परन्तु श्री प्रसाद से.नि. लिपिक को अभी तक ए.सी.पी. की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार श्री प्रसाद को तृतीय ए.सी.पी. के लाभ की राशि का भुगतान करने का विचार रखती है, यदि हां तो कब तक?

मजदूरी का भुगतान

***112 डा. दिलीप कुमार जायसवाल (पूर्णिया, अररिया स्थानीय प्राधिकार):**

कला, संस्कृति एवं युवा :-

क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि विभाग के विभिन्न संग्रहालयों में नियमित कर्मियों के अभाव में दैनिक मजदूरी द्वारा साफ-सफाई एवं अनुरक्षण के अन्य कार्य लिए जा रहे हैं, जिनकी मजदूरी पिछले आठ महीनों से नहीं दी गई है;

(ख) क्या यह सही है कि ये मजदूर एवं उनके आश्रित बाल-बच्चे इस कारण परेशान हैं परन्तु विभागीय अधिकारियों को इसकी कोई चिन्ता नहीं है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इन मजदूरों की तुरंत मजदूरी भुगतान करवाना चाहती है और देरी के लिए दोषी अधिकारियों को दंडित करना चाहती है, यदि हां तो कब तक?

पटना, पिन-800015.
05 जुलाई, 2019.

विनोद कुमार,
सचिव